दिनांक–08.07.2019 को पूर्वाहन 11:00 बजे मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, शासी परिषद बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की अध्यक्षता में आयोजित शासी परिषद की 23वीं बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रस्तावों पर शासी परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है।

कार्यावली बिन्दु–1:– दिनांक–15.02.2019 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही (यथा–परिशिष्ट–1) की सम्पुष्टि की गई।

कार्यावली बिन्दु–2:– दिनांक–15.02.2019 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन (यथा–परिशिष्ट–2) की सम्पुष्टि की गई।

कार्यावली बिन्दु –3

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का वित्तीय वर्ष 2019–20 का कुल रू. 138,09,88,920.00 (एक सौ अड़तीस करोड़ नौ लाख अठासी हजार नौ सौ बीस) का बजट प्राक्कलन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है । इसमें विषय शीर्ष–3104 वेतन मद में कुल रु. 66,48,20,220.00 एवं विषय शीर्ष–3106– गैर वेतन मद में कुल रु. 71,61,68,700.00 शामिल है । इस भेजे गए बजट प्राक्कलन की स्वीकृति बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की दिनांक–15.02.2019 को आहूत 22 वीं बैठक के कार्यावली बिन्दु संख्या–3 के रूप में प्राप्त है ।

मिशन कार्यालय के पत्रांक–488, दिनांक–07.03.2019 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत आई.टी.प्रबंधक, आई.टी.सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय में दिनांक–01.07.2018 के प्रभाव से वृद्धि की गयी है । उक्त मानदेय वृद्धि के कारण माह अप्रैल–2019 से उपर्युक्त वर्णित पदों के लिए बढ़े हुए दर से मानदेय का भुगतान किया जाना है और वैसी स्थिति में माह जुलाई–2018 से माह मार्च–2019 तक की अवधि के अंतर राशि का भुगतान बकाया के रुप में किया जाना होगा । मानदेय वृद्धि एवं बकाया भुगतान के फलस्वरुप सहायक अनुदान

विषय शीर्ष—3104 में वर्त्तमान मानदेय दरों पर कुल रु. 121,74,62,472.00 (एक सौ इक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख बासठ हजार चार सौ बहत्तर) के व्यय का आकलन है ।

वित्तीय वर्ष 2019—20 के पूर्व अनुमोदित बजट प्राक्कलन में विषय शीर्ष—3106 — गैर वेतन मद की राशि में HRMS परियोजना के क्रियान्यवन हेतु रु. 52.00 करोड़ की राशि भी सम्मिलित है । इस प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु बेल्ट्रॉन द्वारा रु. 34,10,61,181.00 (चौतीस करोड़ दस लाख एकसठ हजार एक सौ एकासी) उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2016—17 के अवशेष राशि से उपलब्ध कराया जा रहा है । अतः वित्तीय वर्ष 2019—20 के बजट प्राक्कलन में HRMS के क्रियान्वयन हेतु राशि सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं रह गयी है । फलस्वरुप सहायक अनुदान विषय शीर्ष 3106— गैर वेतन मद में कुल रु. 19,61,68,700.00 (उन्नीस करोड़ एकसठ लाख अड़सठ हजार सात सौ) के व्यय का ही आकलन है । पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन **परिशिष्ट—3** के रूप में संलग्न है ।

उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019—20 में संभावित व्यय का रु. 141,36,31,172.00 (एक सौ एकतालीस करोड़ छत्तीस लाख एकतीस हजार एक सौ बहत्तर) का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन तैयार किया गया है । इस पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन पर शासी परिषद की स्वीकृति प्रार्थित है ।

निर्णय	स्वीकृत

कार्यावली बिन्दु —4

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन विभिन्न संविदात्मक तथा वाह्य स्रोत से सेवा प्राप्त पदों का वित्तीय वर्ष 2019—20 से अगले आदेश तक के लिये अवधि विस्तार तथा कुछ नए पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन।

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 17375, दिनांक 17.12.2014 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं Reforms Support Units (RSUs) के लिए पूर्व से स्वीकृत 15 पदों का जुलाई 2014 से 5 वर्षो के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति देते हुए अतिरिक्त 2811 पदों के सृजन की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2014—15 से 5 वर्षो के लिए प्रदान की गई है ।

बाद में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन कई अन्य पदों का सृजन किया गया है परन्तु इन पदों की स्वीकृति की कोई अंतिम अवधि नहीं रखी गयी है ।

मुख्य सचिव का जन शिकायत कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक—383, दिनांक—27.12.2017 द्वारा राज्य सरकार के सभी स्तर पर गठित जन शिकायत कोषांग का विघटन

दिनांक–31.01.2018 के प्रभाव से कर दिये जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 17375, दिनांक 17.12.2014 द्वारा स्वीकृत जन शिकायत पदाधिकारी के 154 संविदात्मक पद तथा जन शिकायत कोषांग हेतु स्वीकृत किए गए कार्यपालक सहायक के 154 पदों के अवधि विस्तार का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10748, दिनांक–22.08.2017 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के लिए नियमित सरकारी सेवकों के पदों का सृजन सामान्य प्रशासन विभाग में कर लिए जाने के कारण अब वैसे पद बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में नहीं रह गए हैं तद्नुसार इन पदों के अवधि विस्तार का भी कोई औचित्य नहीं रह गया है। ऐसे जिन पदों का अब काम नहीं रह गया है, उनके प्रत्यर्पण का भी प्रस्ताव है ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा प्रशासनिक सुधार तथा लोक कल्याण की कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण किया जाता है जिसके लिए पूर्व में एक खास अवधि तक के लिए स्वीकृत पदों का आगे अवधि विस्तार करते हुए कुछ नए पदों का सृजन आवश्यक प्रतीत होता है । सम्प्रति पूर्व से स्वीकृत पदों में से अधिकांश पदों पर कर्मी कार्यरत हैं । अवधि विस्तार हेतु प्रस्तावित 2494 पदों पर वर्त्तमान मानदेय दरों के आधार पर वार्षिक वित्तीय भार **रु. 98,74,62,472.00** (अंठानबे करोड़ चौहत्तर लाख बासठ हजार चार सौ बहतर) अनुमानित है जबकि नए सृजित किए जाने हेतु प्रस्तावित 17 पदों पर वार्षिक वित्तीय भार **रु. 26,93,160.00** (छब्बीस लाख तिरानवे हजार एक सौ साठ) आकलित है ।

अतः बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सुगम संपादन हेतु सामान्य प्रशासन विभागीय ज्ञापांक 17375, दिनांक 17.12.2014 द्वारा स्वीकृत किए गए पदों में से परिशिष्ट–4 (क) के विवरण के अनुसार वर्णित 2494 पदों का वित्तीय वर्ष 2019–20 से अगले आदेश तक अवधि विस्तार तथा परिशिष्ट–4 (ख) के अनुसार कार्यपालक सहायक के 10 (संविदात्मक) एवं ऑफिस ब्वॉय/ऑफिस गर्ल के 07 (वाह्य स्रोत से सेवा प्राप्त) नए पदों के सृजन के बिंदु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकृतः– 1. **सामान्य प्रशासन विभागीय ज्ञापांक 17375, दिनांक 17.12.2014 द्वारा स्वीकृत किए गए पदों में से परिशिष्ट–4 (क) के विवरण के अनुसार वर्णित 2494 पदों का वित्तीय वर्ष 2019–20 से अगले आदेश तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जाती है।**

	2. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायक हेतु सृजित पदों पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों के अतिरिक्त अब नये रिक्तियों के विरूद्ध नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जायेगा। जिस जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के सृजित पदो के विरूद्ध रिक्तियॉ होगी, वह जिला रिक्तियों के अनुरूप आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुये बेल्ट्रॉन से डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा प्राप्त करने हेतु अधियाचना करेगा। बेल्ट्रॉन द्वारा मांग के अनुरूप डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। बेल्ट्रॉन द्वारा जिलों को उपलब्ध कराये गये डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बेल्ट्रॉन को किया जायेगा। 3. आई0टी0 सहायक के पद पर आगे कोई नियोजन की कार्रवाई नहीं की जायेगी। 4. आई0टी0 प्रबंधक के सृजित पदों के विरूद्ध रिक्तियों पर नियोजन की कार्रवाई पूर्ववत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा की जायेगी। 5. उपरोक्त निर्णयों के कम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत परिशिष्ट–4 (ख) के अनुसार कार्यपालक सहायक के 10 (संविदात्मक) के नये पदों के सृजन के स्थान पर 10 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पदों का सृजन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। 6. परिशिष्ट–4 (ख) में उल्लेखित 07 (सात) ऑफिस ब्वॉय/गर्ल की सेवा वाहय स्रोत के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

<u>अन्यान्य</u>

1. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कियान्वयन को और कारगर बनाने तथा पारित किये जा रहे आदेशो के गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के क्षमतावर्द्धन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

2. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की पहुँच को बढाने हेतु प्रचार प्रसार के नए विकल्पों को भी तलाशे जाये, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस अधिनियम की जानकारी हो सके तथा इसका लाभ उठा सके।

3. जिज्ञासा हेल्पलाईन को एकल संपर्क के रूप में विस्तारित किया गया है। इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

बैठक की कार्यावाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/– (शिवेन्दु रंजन) उप निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के प्रतिनिधि	ह0/– (राजेश्वर प्रसाद सिंह) अपर सचिव सचिव, योजना एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि	ह0/– (जितेन्द्र कुमार) प्रभारी सचिव, विधि विभाग
ह0/– (डॉ0 प्रतिमा) अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी	ह0/– (राहुल सिंह) सचिव, वित्त (व्यय) –सह– सचिव सूचना प्रावैधिकी विभाग	ह0/– (एस0 सिद्धार्थ) प्रधान सचिव, वित्त विभाग
ह0/– (आमिर सुबहानी) मिशन निदेशक–सह–अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	ह0/– (डॉ0 सुभाष शर्मा) विकास आयुक्त, बिहार	ह0/– (दीपक कुमार) मुख्य सचिव, बिहार

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांक:– **बि0प्र0सु0मि0सो0/योजना–02/2012, (खण्ड–II)**..1350.. **दिनांक**–..25/07/2019

प्रतिलिपि:– महानिदेशक, बिपार्ड/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/ सचिव, विधि विभाग, बिहार/ प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन को कार्यवाही की प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक:– **बि0प्र0सु0मि0सो0/योजना–02/2012(खण्ड–II)**..1350.. **दिनांक**–..25/07/2019

प्रतिलिपि:– मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, शासी परिषद एवं विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक